

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1864 / 2017 / जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
बिजनेस ऑडिट-प्रथम, जोन-द्वितीय, जयपुर.

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रेडीट्रोन,
मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा, उप राजकीय अभिभाषक
श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक।

.....अपीलार्थी विभाग की ओर से

.....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 25 / 09 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 136/अ.प्रा.1/जयपुर/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिजनेस ऑडिट-प्रथम, संभाग-द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.03.2016 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 27(4)(5), 55 व 61 के अन्तर्गत कायम वैट राशि रूपये 45,468/- व ब्याज राशि रूपये 13,641/- को यथावत् रखते हुए शास्ति राशि रूपये 90,936/- को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बैट्री चार्जर, यू.पी. एस. एवं इन्वर्टर का निर्माण कर राज्य में विक्रय किया जाता है। वक्त ऑडिट कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि आलौच्य अवधि में माल की आपूर्ति पर क्रेताओं से प्राप्त भाडे (Freight) की राशि रूपये 3,24,771/- को प्रत्यर्थी द्वारा विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना गया। जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी की करापवंचन की मंशा मानते हुए नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.03.2016 पारित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी पर वैट राशि रूपये 45,468/- व ब्याज राशि रूपये 13,641/- एवं शास्ति राशि रूपये 90,936/- का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त पारित आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित वैट एवं ब्याज को यथावत् रखा गया, परन्तु अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग

निरन्तर.....2

द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि क्रयादेश/अनुबंध की शर्तों के अनुसार साईट पर माल पहुँचाने का दायित्व तथा गंतव्य तक माल पहुँचाने की समस्त जोखिमों एवं वहां तक माल का स्वामित्व भी व्यवहारी का है। इस प्रकार माल की बिक्री F.O.R. Delivery पर पूर्ण होती है। इसलिये माल के F.O.R. Delivery के समस्त व्यय यथा भाडा (Freight) विक्रय मूल्य का भाग है। जिसे प्रत्यर्थी द्वारा विक्रय मूल्य का भाग नहीं मानकर करापवंचन का कृत्य किया है, इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने उचित रूप से कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.03.2016 पारित करते हुए वैट, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया है। उन्होंने कथन किया अपीलीय अधिकारी ने शास्ति के बिन्दु पर अविधिक आदेश पारित किया है, जिसे अपास्त करते हुए अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा कि व्यवसायी द्वारा सभी प्राप्तियां का रेकॉर्ड लेखा-पुस्तकों में इन्द्राज किया है अतः इस पर अधिनियम की धारा 61 शास्ति का आरोपण किया जाना विधि विरुद्ध है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने न्यायिक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 23 वीएसटी 249(एससी) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम तमिलनाडू सरकार व वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड (20) 2012, 32 टीयूडी को उद्धरित किया। आगे अपने कथन में उन्होंने अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवसायी द्वारा सभी खरीद-बिक्री के संव्यवहार (Transaction) का रेकॉर्ड लेखा-पुस्तकों में इन्द्राज किया है तथा उनके द्वारा किसी भी संव्यवहार को नहीं छुपाया गया है। व्यवहारी द्वारा मात्र जानकारी के अभाव में समस्त व्यय यथा भाडा (Freight) को विक्रय मूल्य में शामिल नहीं किया था। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा उद्धरित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय 23 वीएसटी 249(एससी) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम तमिलनाडू सरकार एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड (20) 2012, 32 टीयूडी के अनुसार व्यवहारी द्वारा जब सभी खरीद-बिक्री के संव्यवहार नियमित लेखा पुस्तकों में इन्द्राज हैं तथा करापवंचन का कोई मनोभाव प्रकट नहीं होता है तो ऐसी अवस्था में शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता है। अतः शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

7. अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.2017 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से इसे यथावत् रखा जाता है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य